लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स आरपी प्रोजेक्ट, श्री नवीन कुमार, पिता–श्री रामदेव प्रसाद यादव, ग्राम–सरकटिया, पो0–हिसुआ, जिला–नवादा के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक–08 बालू घाट, मौजा–सुग्गी, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 26.10.2023 को अपराहन् 12:00 बजे प्रखंड सभागार जमुई, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा को निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2372/2023, दिनांक 03.05.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"दैनिक जागरण" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **23.09.2023** को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक–08 बालू घाट, मौजा–सुग्गी, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई, में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री नवीन कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। जबकि मे0 संजय कुमार, काली मंदिर रोड, एस0बी0डी0 स्कूल के निकट, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2372/2023, दिनांक 03.05.2023 के द्वारा निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–08 में 8.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 103084.8 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 143.48 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–08 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री जितेन्द्र कुमार, सुग्गी, जमुई के द्वारा नियमों के अनुसार खनन किये जाने का अनुरोध किया गया तथा विद्यालय अवधि में गाड़ी का परिचालन नहीं करने एवं इसकी निगरानी के लिए एक आदमी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया।	संवेदक द्वारा हर 6 माह पर शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है। विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय पर गाड़ियों का परिचालन नहीं कराया जायेगा। आदमी नियुक्त करने का सुझाव सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखा जायेगा।
2.	श्री दीपक कुमार, सुग्गी, जमुई के द्वारा रोजगार के अवसर, स्थानीय लोगों को होने वाले लाभ की जानकारी मांगी गई तथा जल स्तर को बरकरार रखने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में अर्द्ध यांत्रिक विधि द्वारा खनन कार्य कराया जायेगा जिसमें मशीनों के साथ मानव बल की भी आवश्यकता होगी। स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि डी0एम0एफ0 फंड में जमा कराया जाता है जिसका उपयोग प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए किया जायेगा। भूजल स्तर में कमी एक सर्वव्यापी समस्या है, खनन से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
3.	श्री अभिषेक राज, सुग्गी, जमुई के द्वारा खनन की गहराई के बारे में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है।
4.	श्री प्रमोद कुमार मंडल, सुग्गी, जमुई के द्वारा पुछा गया कि बालू को कैसे और कहाँ लोड किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना में अर्द्ध यांत्रिक विधि द्वारा खनन कार्य कराया जायेगा। खनन क्षेत्र से बालू निकालने के बाद छोटी गाड़ियों द्वारा सेकन्डरी लोडिंग पाइंट पर भंडारण किया जायेगा तथा बालू सूखने के पश्चात बड़ी गाड़ियों में लोड करके गंतव्य स्थल पर भेजा जायेगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पडने पर इसकी सूचना

जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री नवीन कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। जबकि मे0 संजय कुमार, काली मंदिर रोड, एस0बी0डी0 स्कूल के निकट, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2372/2023, दिनांक 03.05.2023 के द्वारा निर्गत किया गया है। तदनुसार उपलब्ध कागजात के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जा सकती है।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

26-10-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

26/10/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स आरपी प्रोजेक्ट, प्रो०-श्री नवीन कुमार, पिता-श्री रामदेव प्रसाद यादव, ग्राम-सरकटिया, पो०-हिसुआ, जिला-नवादा द्वारा उलाई नदी ब्लॉक-08 बालू घाट, मौजा-सुग्गी, प्रखंड-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.10.2023 को पूर्वाहन् 12:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड कार्यालय जमुई, जिला-जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (PGR) cum DPGRO Jamui	[signature] 26/10/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Pollution Control Board	[signature] 26-10-2023
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 26/10/2023
4.	AMESH KUMAR	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 26/10/2023
5.	नीतिश कुमार	P&M Solution, Noida (Env. consultant)	Nitish Ku
6.	ज्योतिष कुमार	Indus mining Environmental consultancy, Patna	Jyotish Kr
7.	Abhishek Raj (संवेदक) प्रतिनिधि	Jamui	Abhishek
8.	[illegible]	Jamui	[signature]
9.	Jitender mandal	Suggi Jamui	Jitender mandal
10.	प्रमोद कुमार	Suggi (Jamui)	
11.	Deepak kumar	Suggi (Jamui)	D K Singh

12.	महेश यादव	सुग्गी	mahesh jadav.
13.	Arshad iqbal	Suggi.	[illegible]
14.	Ashish Yadav	Suggi	Ashish Yadav
15.	Pramod kumar	Suggi	[illegible]
16.	Subhash	सग्गी	शुभाष पासवान
17.	Bikash kumar	Patauna	Bikash
18.	अशोक कुमार	नयुई	अशोक कुमार
19.	Pankaj kumar	Kharma	Pankaj
20.	नरेश कुमार	बरई	नरेश कुमार
21.	मुकेश यादव	मोका	मुकेश यादव
22.	भवानी [illegible]	जाई	[illegible]
23.	रमेश यादव	नयुई	रमेश यादव
24.	सुबोध कुमार	INDUS MINING	[illegible]
25.	DHananjay	Jamui	[illegible]
26.	Md Shamim	BSPCB, Patna	[illegible]

27.	मुकेशयादव	पतौना	मुकेश यादव
28.	Raj Kr.	[illegible]	राजीव कुमार
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			